निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /DMO-105/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम संह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम संह नगर के माह 04/2016 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.11.17 से 18.11.17 तक श्री **नवीन चन्द्र** लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री **कलवन्त संह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 01.03.2017 तक श्री **हिमांशू म ण** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह – से – तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – **जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम संह नगर**
3. (ii)(अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत हैः

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1983.00
2015-16	2540.93
2016-17	3434.75

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
		लागू नही						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः (संलग्न है)

निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम संह नगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम संह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-** लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओ का संग्रह कया गया।

राजस्व: माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

प्रस्तर1- ब्याज का आरोपण 4.35 लाख।

प्रस्तर2- अर्थदण्ड का न्यूनारोपण 1.75 लाख।

प्रस्तर3- अर्थदण्ड 1.40 लाख।

प्रस्तर4- आवेदन शुल्क कम जमा लिखा जाना 0.95।

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

भाग 2 ख

प्रस्तर- 1 : अपरिहार्य वा र्षक भाटक/रॉयल्टी व अन्य देय शुल्क वलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का अनारोपण रु 4.35 लाख ।

उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) वभाग की वज्ञप्ति दिनाँक 26.08.2001 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-58(1) के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत कोई अ धकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात क वह सूचना प्राप्त होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वा मत्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनरा श या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे । नियम 58(2) के अनुसार उपनियम (1) के अधीन सूचना की अव ध के समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय कसी भाटक, स्वा मत्व, सीमांकन शुल्क और कन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लया जा सकता है ।

उत्तराखंड शासन, औद्ध्यो गक वकास अनुभाग (2) के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 2911/VII-II/146-ख/10/2011 देहरादून, दिनाँक 18.11.2011 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु 5(5) के अनुसार समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्रधारक/भंडारण स्वामी को निर्गत कये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रॉयल्टी की धनरा श अ ग्रम रूप से जमा करायी जायेगी । पुनः उत्तराखंड शासन, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 9(4) (पाँच) के अनुसार खनन सं क्रयाएँ प्रारम्भ करने के पश्चात पट्टेधारक द्वारा आगामी माह की 20 तारीख तक रायल्टी की अ ग्रम रा श जमा की जाएगी। निर्धारित ति थ तक अ ग्रम जमा न कए जाने की दशा में खान अ धकारी द्वारा 10 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वा र्षक ब्याज सहित जमा कये जाने का नोटिस जारी कया जायेगा।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अ धकारी/उप-निदेशक, खनन, ऊधम संह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में निजी पट्टाधारकों की पत्राव लयों की जाँच में संलग्न ववरण अनुसार 01 पट्टाधारक द्वारा अपनी वा र्षक भाटक/रॉयल्टी की धनरा श वलम्ब से जमा करायी गयी थी, जिसपर नियमानुसार रु 290463/- ब्याज देय था ।

आगे जाँच में यह भी पाया गया क पट्टाधारक द्वारा वर्ष 2016-17 के माह मार्च 2017 में 30373.75 टन उप-खनिज की निकासी की रॉयल्टी रु 24,29,900/- पर देय रिवर ट्रेनिंग

शुल्क, वकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति शुल्क रु 9,96,259/- वलम्ब (07 माह 08 दिन) से दिनाँक 08.11.2017 को जमा कराया गया था जिसपर नियमानुसार 24% की दर से रु 144789/- ब्याज भी देय था जो क पट्टाधारक द्वारा जमा नहीं कया गया था।
लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा गया क संबन्धित प्रकरणो में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः ब्याज की रा श `290463 + `144789 (कुल `435252/-) जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 2 : अवैध खनन पर अर्थदण्ड का न्यूनारोपण रु 1.75 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्ध्यो गक वकास वभाग की अ धसूचना सं॰ 1031/VII-1/2015/158-ख/2004 दिनाँक 31.07.2015 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 में संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2015 प्रख्या पत की गयी थी । इस नियमावली के बिन्दु सं॰ 11 द्वारा नियम 13 के उप-नियम-2 के खण्ड (ख) में निम्न प्रकार संशोधन कया गया था:

अवैध भंडारकर्त्ता/अवैध परिवहनकर्ता/ अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज वकास एवं वनियमन अ धनियम, 1957 की धारा 21 के उपनियम (2) एवं नियम 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनरा श रु 2,**00,000/-** के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन कये जा रहे खनिज की मात्रा का वक्रय मूल्य (रॉयल्टी का पाँच गुना तक) की धनरा श उपरोक्तनुसार आंग णत कर वसूली की जायेगी ।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अ धकारी/उप-निदेशक, खनन, ऊधम संह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में अवैध खनन से संबन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया क उप-जिला धकारी, सतारगंज द्वारा अवैध उप-खनिज के भंडारण के सम्बंध में दिनाँक 21.08.2015 को जिला धकारी को रिपोर्ट प्रे षत की गयी थी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार दिनाँक 13.08.2015 को उप-जिला धकारी, सतारगंज द्वारा निरीक्षण के दौरान ग्राम कल्याणपुर, सतारगंज में उपखनिज मात्रा 280 घनमीटर का अवैध भंडारण पाया गया था। इस सम्बंध में राजस्व निरीक्षक व उप-जिला धकारी, सतारगंज द्वारा अवैध भंडारण कये जाने हेतु रॉयल्टी की धनरा श के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में मात्र रु 25000/- आरो पत कये जाने हेतु आख्या जिला धकारी को प्रे षत की गयी थी। उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये जिला मजीस्ट्रेट द्वारा रॉयल्टी की धनरा श के अतिरिक्त रु 25000/- का अर्थदण्ड वपक्षी पर आरो पत कया था जब क नियमानुसार रु 200000/- का अर्थदण्ड आरो पत कया जाना था। इस प्रकार अवैध खनन के प्रकरण में रु 175000/- अर्थदण्ड कम आरो पत कया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क संबन्धित प्रकरण में जिला धकारी द्वारा अर्थदण्ड आरो पत कया गया है एवं कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपे क्षत नहीं है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यूं क नियमानुसार अर्थदण्ड का आरोपण नहीं कया गया था। अतः रु 175000/- के अर्थदण्ड के न्यूनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

मा सक ववर णयाँ प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु **1.40** लाख।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-73 के अनुसार खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बंध में ववरणी अनुवर्ती माह के द् वतीय सप्ताह में प्रपत्र एम॰ एम॰-12 में जिला अ धकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । पुनः उत्तराखंड, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनाँक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं॰ 6(6) के द्वारा त्रैमा सक ववरणी के स्थान पर मा सक ववरणी का प्रावधान करते हुए ववरणी समय से प्रस्तुत न करने की दशा में अर्थदण्ड की धनरा श को रु 400 से बढ़ाकर रु 2000 कर दिया गया था ।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अ धकारी/उप-निदेशक, ऊधम संह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 10 उप-खनिज भण्डारकर्ताओं द्वारा अपनी मा सक ववरणी या तो वलम्ब से जमा की गयी थी या जमा ही नहीं की गयी थी। अतः उपरोक्त व र्णत नियमानुसार 10 उप-खनिज भण्डारकर्ताओं (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा अपनी 70 मा सक ववर णयाँ वलम्ब से प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने के कारण रु 2000 प्रति मा सक ववरणी की दर से रु 1,40,000/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जो क आरो पत नहीं कया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क ववरणी वलम्ब से प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत न करने के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर- **3 :** आवेदन शुल्क की धनरा श कम जमा कया जाना रु 0.95 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्ध्यो गक वकास वभाग, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 दिनाँक 31.07.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 के नियम 4(3) के अनुसार स्वस्थित चट्टानों/नदी तल से संबन्धित निजी नाप भू म में खनन पट्टे हेतु आवेदन शुल्क रु 1.00 लाख लये जाने का प्रावधान था ।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अ धकारी/उप-निदेशक, खनन, ऊधम संह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में खनन पट्टों से संबन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया क श्री आशीष सहगल पुत्र श्री ओमकार सहगल, निवासी ए-441, आवास वकास, कछा, ऊधम संह नगर के पक्ष में ग्राम सरोली कलाँ में 05 वर्ष की अव ध हेतु खनन पट्टा स्वीकृत कया गया था जिसका पट्टा वलेख दिनाँक 31.05.2016 को निष्पादित कया गया था । नियमानुसार खनन पट्टे हेतु आवेदन शुल्क रु 1.00 लाख था जब क पट्टाधारक द्वारा दिनाँक 04.02.2014 को आवेदन शुल्क के रूप में मात्र रु 5000/- ही जमा कराया गया था । इस प्रकार रु 95000/- आवेदन शुल्क कम जमा कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क संबन्धित प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः आवेदन शुल्क कम जमा कये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
DMO-23/2016-17	01,02,03	----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम संह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   (1) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा संपादित विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पत्रावली

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजपाल लेघा	ज्येष्ठ खान अ धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम संह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र